

निदेशक की कलम से

संस्थान की वर्ष 2004-2005 की वार्षिक रिपोर्ट आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। नए कार्यक्रमों और गतिविधियों के आरंभ की दृष्टि से इस वर्ष भी संस्थान ने उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित कीं।



यह संस्थान देश में महिलाओं और बच्चों के हित में अपनी वचनबद्धता को पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहा है। चालीस वर्ष की अपनी सुदीर्घ यात्रा के दौरान इसने अपनी संकाय और स्टाफ को जरूरी संवेग और उत्प्रेरणा प्रदान की है ताकि मूल रूप से निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके और भविष्य में दृढ़ विश्वास और निश्चय के साथ इन पर ध्यान केन्द्रित रखा जा सके व बल दिया जा सके। समय के साथ-साथ विशेषतः महिला एवं बाल विकास पर आधारित प्रशिक्षण, अनुसंधान और प्रलेखन के क्षेत्र में संस्थान की उपलब्धियों की सूची में निरन्तर वृद्धि हो रही है। चालीसवें वर्ष में संस्थान की मौजूदगी इस तथ्य का प्रमाण है कि यह महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में नियमित रूप से टोस विशेषज्ञता प्राप्त करते हुए और तकनीकी अस्तित्व के रूप में अपनी रुचि के क्षेत्रों में परिपक्वता और प्रभावशाली स्थिति में पहुंच गया है।

पिछले कुछ दशकों में यह संस्थान महिला एवं बाल विकास के समस्त कार्यक्षेत्र में स्वैच्छिक कार्य, अनुसंधान और प्रलेखन को बढ़ावा देने के लिए समर्पित प्रमुख संस्था के रूप में उभरा है। इसने अपनी शुरुआत वर्ष 1966 में एक स्वायत्त संस्थान के रूप में की थी जिसे केन्द्रीय जन सहयोग, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के नाम से जाना जाता था। यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत था। वर्ष 1979 में इसे राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम दिया गया। अब यह महिला एवं बाल विकास विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में कार्य करता है। यह राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं की भागीदारी से तथा प्रशिक्षण और अनुसंधान संबंधी अपनी गतिविधियां अपने सेवाग्राहियों की आवश्यकताओं के अनुरूप बना कर दक्षिण-पूर्व एशियाई भाग में महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट केन्द्र बनने की दिशा में प्रयासरत है।

बच्चे के व्यापक विकास हेतु आवश्यक और जरूरत-आधारित कार्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए समाज विकास में स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देना और महिला सशक्तिकरण तथा जेंडर संबंधी मुद्दों, विशेषतः महिलाओं के राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के प्रति जागरूकता लाना संस्थान के मुख्य कार्यों में शामिल है। संस्थान के बेंगलूर, गुवाहाटी, इंदौर और लखनऊ स्थित क्षेत्रीय केन्द्रों ने बाल देखभाल कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज संगठनों की क्षमताएं बनाना तथा स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देना जारी रखा और नई दिल्ली स्थित मुख्यालय ने उन कार्यक्रमों और गतिविधियों पर अपना ध्यान केन्द्रित रखा जो राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय आयामों की हैं। यह संस्थान समेकित बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस) कार्यक्रम के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए शीर्ष संस्था भी है। वर्ष 1996 से यह स्वशक्ति परियोजना के लिए अग्रणी प्रशिक्षण संस्था (एलटीए) के रूप में भी कार्य कर रहा है, जिसका उद्देश्य महिलाओं का व्यापक सशक्तिकरण है। इसके अतिरिक्त संस्थान को स्वयंसिद्धा परियोजना के लिए भी अग्रणी प्रशिक्षण संस्था के रूप में चुना गया है जिसे ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वर्ष 2001 में शुरू किया गया था। संस्थान की गतिविधियां दो विभागों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं जिनके नाम हैं मातृ एवं बाल देखभाल विभाग और प्रशिक्षण एवं सामान्य सेवा विभाग। प्रत्येक विभाग का प्रमुख एक अपर निदेशक है। इन दो विभागों के अंतर्गत पांच कार्यक्रम प्रभाग कार्यरत हैं। ये प्रभाग हैं : जन सहयोग, बाल विकास, महिला विकास, प्रशिक्षण तथा मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन। इनमें से प्रत्येक प्रभाग का प्रमुख एक संयुक्त निदेशक है।

संस्थान का महिला एवं बाल प्रलेखन केन्द्र (डीसीडब्ल्यूसी) एक विशिष्ट प्रलेखन एवं संदर्भ केन्द्र है जो देश और विदेश में महिलाओं और बच्चों पर सूचना का प्रसार करता है। संस्थान के चार क्षेत्रीय केन्द्र हैं जिनमें से प्रत्येक का प्रमुख एक क्षेत्रीय निदेशक है। ये केन्द्र क्षेत्रीय स्तर पर प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श संबंधी जरूरतें पूरी करते हैं।

संस्थान के साधारण निकाय और कार्यकारी परिषद नामक दो संवैधानिक निकाय हैं। साधारण निकाय संस्थान की समग्र नीतियां बनाती है और कार्यकारी परिषद संस्थान के प्रबंधन और प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। इन दोनों निकायों में सरकार और स्वैच्छिक संगठनों



के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। संस्थान महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है और इसकी साधारण निकाय के सभापति हैं। साधारण निकाय के सभापति कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष भी हैं।

संस्थान अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तीन व्यापक श्रेणियों के अन्तर्गत आयोजित करता है - नियमित कार्यक्रम (इसमें निःशुल्क तथा प्रायोजित कार्यक्रम शामिल हैं), समेकित बाल विकास सेवा योजना कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण तथा अन्य परियोजनाओं (स्वशक्ति, स्वयंसिद्धा) के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम। वर्ष 2004-05 के दौरान पहली श्रेणी के अन्तर्गत संस्थान ने 121 कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें 4510 सहभागियों ने भाग लिया। दूसरी श्रेणी के अन्तर्गत संस्थान ने 55 कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें 1382 सहभागियों ने भाग लिया तथा तीसरी श्रेणी के अन्तर्गत 31 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 699 सहभागियों ने हिस्सा लिया।

उन छोटे और बुनियादी स्तर के स्वैच्छिक संगठनों की क्षमताएं बढ़ाने के उद्देश्य से संस्थान ने सशुल्क पाठ्यक्रमों का आयोजन बंद कर दिया जो देश के दूर-दराज क्षेत्रों में कार्यरत हैं और जिनकी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। संस्थान ने सशुल्क पाठ्यक्रमों का आयोजन कुछ वर्ष पहले आजमाइशी तौर पर शुरू किया था। संस्थान ने महिला एवं बाल विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों और विषयों पर 92 निःशुल्क पाठ्यक्रम आयोजित किए जिनमें प्रशिक्षण कार्यक्रम, परामर्श बैठकें, कार्यशालाएं, सेमिनार आदि शामिल हैं। देशभर में स्थित स्वैच्छिक संगठनों के 3649 कार्यकर्ता इन पाठ्यक्रमों से लाभान्वित हुए।

देश में महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में सरकारी - स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए संस्थान ने **महिलाओं और बच्चों के विकास में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका** पर क्रमशः पटना, जम्मू, अहमदाबाद और भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय सेमिनार आयोजित किए। इन सेमिनारों में 658 सहभागियों ने भाग लिया। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान स्वैच्छिक संगठनों के क्षमता निर्माण पर संस्थान द्वारा कई प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की गईं। **परियोजना की आयोजना और रूपरेखा तैयार करने पर** दिनांक 17.5.2004 से 21.5.2004 तक और दिनांक 24.5.2004 से 28.5.2004 तक दो **कुशलता उन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम** आयोजित किए गए। **सरकारी और गैर-सरकारी स्रोतों से सहायता अनुदान और वित्तीय सहायता प्राप्त करने से संबंधित** आवेदन पत्र तथा स्वीकृति की प्रक्रियाओं की समुचित जानकारी देने के विचार से संस्थान ने सहायता अनुदान और अन्य स्रोतों से निधियन पर दिनांक 20.12.2004-24.12.2004 तक **प्रशिक्षण** का आयोजन किया। सामुदायिक संसाधन सफलतापूर्वक जुटाने हेतु विकास कार्यकर्ताओं के दृष्टिकोण, प्रयास और विश्वास को बढ़ावा देने और **समुदाय से निधियां जुटाने की प्रक्रिया** के जरिए जुटाई गई निधि के प्रबंध की जरूरी कुशलताओं से परिचित कराने के दोहरे उद्देश्य से संस्थान ने **समुदाय से संसाधन जुटाने और उनके प्रबंधन** पर 8.2.2005 से 11.2.2005 तक चार दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया। संस्था निर्माण प्रक्रिया में स्वैच्छिक संगठनों की जानकारी बढ़ाने के उद्देश्य से संस्थान ने दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। उनमें से एक था - **स्वैच्छिक संगठन की स्थापना और प्रबंधन पर अनुशिक्षण प्रशिक्षण**, जिसे 28.6.2004 से 2.7.2004 तक आयोजित किया गया। दूसरा प्रशिक्षण **स्वैच्छिक संगठनों में अच्छा शासन** विषय पर था जिसे 29.3.2005 से 1.4.2005 तक आयोजित किया गया।

महिलाओं और बच्चों के विकास से संबंधित सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में बुनियादी स्तर पर कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को बहुत कम जानकारी होती है या बिलकुल जानकारी नहीं होती। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए संस्थान ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर **स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकर्ताओं के क्षमता निर्माण** पर 12 कार्यशालाओं का आयोजन किया।

महिलाओं और बच्चों के अनैतिक व्यापार की समस्या राष्ट्र के लिए चिन्ता का एक प्रमुख मुद्दा बन कर उभर रही है। देश के कुछ खास क्षेत्रों और सीमावर्ती गांवों में अनैतिक व्यापार के मामले बहुत अधिक चौंका देने वाले हैं। अनैतिक व्यापार के मुद्दों के बारे में स्वैच्छिक संगठनों में संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए इस संस्थान ने **महिलाओं और बच्चों के अनैतिक व्यापार की रोकथाम** पर दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। पश्चिमी क्षेत्र में **अनैतिक व्यापार और वेश्यावृत्ति की रोकथाम और नियंत्रण पर सरकारी अधिकारियों और गैर-सरकारी संगठनों के लिए** एक अन्य तीन दिवसीय **सुग्राह्यता कार्यशाला** का आयोजन किया गया।



बाल देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराने और प्राथमिक स्कूल की आयु तक बच्चों के पहुंचने तक उन्हें शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सजग, भावात्मक रूप से सुरक्षित, सामाजिक रूप से सक्षम और बौद्धिक रूप से योग्य बनाने के जरिए उनमें जरूरी बदलाव लाने में बाल देखभाल कार्यकर्ता प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इस विचार को ध्यान में रख कर संस्थान ने स्वैच्छिक संगठनों हेतु **प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास** पर पांच दिवसीय दो **पाठ्यक्रम** आयोजित किए। इनमें से एक पाठ्यक्रम 23.8.2004 से 27.8.2004 तक और दूसरा 14.3.2005 से 18.3.2005 तक आयोजित किया गया। प्रशिक्षण से कार्यकर्ताओं को किसी विशिष्ट क्षेत्र की गतिविधि पर अद्यतन जानकारी और कुशलता प्रदान की जाती है तथा उनके रवैये में वांछित बदलाव लाया जाता है ताकि कार्य के प्रति उनकी दक्षता बढ़ाई जा सके, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान संस्थान ने बाल देखभाल कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण माड्यूल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों के निर्धारण पर तीन कार्यक्रम आयोजित किए। संस्थान ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुरोध पर **शिशुगृह कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण माड्यूल और शिशुगृह कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षकों के लिए अनुशिक्षण प्रशिक्षण माड्यूल** विकसित किए। इन माड्यूलों की पूर्वजांच के लिए संस्थान ने शिशुगृह कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षकों हेतु **प्रशिक्षण माड्यूल की पूर्व जांच पर कार्यक्रम** का आयोजन किया।

बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य देश के लिए एक प्रमुख विचारणीय मुद्दा है और बच्चों तथा किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या से निपटने के लिए परामर्श सर्वाधिक कारगर सेवा के रूप में उभरा है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी ने **पूर्वोत्तर क्षेत्र की जनजातीय किशोरियों के लिए परामर्श पर गैर-सरकारी संगठनों और स्कूल अध्यापकों हेतु** 27.4.2004 से 1.5.2004 तक **अनुशिक्षण पाठ्यक्रम** का आयोजन किया। बच्चों की सामाजिक, भावात्मक और बौद्धिक तंदरूस्ती के लिए तथा मानसिक और व्यवहार संबंधी अन्य ऐसी समस्याओं, जिनमें से देश के अधिकांश बच्चे किसी न किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, की ओर विशेष ध्यान देने के लिए बाल निर्देशन और परामर्श सेवाओं का काफी हद तक विस्तार किया गया है। बाल निर्देशन और परामर्श सेवाओं के विस्तार की जरूरत को समझते हुए संस्थान ने देश में **बाल निर्देशन सेवाओं के उन्नयन पर** दो दिवसीय **राष्ट्रीय परामर्श बैठक** का आयोजन किया।

वर्ष के दौरान संस्थान ने प्रायोजन श्रेणी के अंतर्गत 29 कार्यक्रम आयोजित किये। इन कार्यक्रमों को विश्व खाद्य कार्यक्रम, यूनिसेफ, ट्राइबल कोआपरेटिव मार्केटिंग डिवेलपमेंट फेडरेशन आफ इंडिया (ट्राइफेड), महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार, श्रम विभाग, कर्नाटक सरकार, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो जैसी राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय एजेन्सियों से सहायता मिली। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के नाम हैं :

1. बाल विकास एवं बाल कल्याण पर अनुशिक्षण प्रशिक्षण
2. मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा पर जिला मॉडल संसाधन केन्द्र के विकास पर प्री-फेस जिला स्तरीय कार्यशाला
3. ट्राइफेड स्टाफ के लिए परियोजना गठन, विश्लेषण, कार्यान्वयन एवं मानीटरिंग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
4. स्टैप/स्वावलम्बन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहे गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के लिए अनुशिक्षण पाठ्यक्रम
5. कर्नाटक की जिला बाल श्रम समितियों के परियोजना निदेशकों के लिए बाल श्रम के मुद्दों पर प्रशिक्षण
6. जेंडर न्याय तथा पुलिस की भूमिका पर वर्टिकल इंटरैक्शन पाठ्यक्रम
7. आईसीडीएस, आरसीएच तथा ईसीसीडी पर बीपीएनआई हेतु प्रशिक्षण कार्यशालाएं
8. समुदाय उन्मुखी और बालोपयोगी पुलिसिंग पर अनुशिक्षण प्रशिक्षण



9. पूर्वोत्तर क्षेत्र में नमक के व्यापक आयोडीनीकरण के जरिए आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों की समाप्ति को बनाए रखने पर कार्यशाला
10. चाइल्डलाइन तथा बेघर बच्चों के कार्यकर्ताओं हेतु बच्चों के हितों की सुरक्षा करने वाले कानूनों पर अनुशिक्षण पाठ्यक्रम

वर्ष के दौरान संस्थान ने बाल निर्देशन और परामर्श में दस महीने का उन्नत डिप्लोमा शुरू करने का अधिकांश आरंभिक कार्य पूरा कर लिया। बच्चों तथा परिवारों के परामर्श एवं मार्गदर्शन के लिए प्रशिक्षित व्यावसायिकों की उपलब्धता की कमी को पूरा करने के लिए इस पाठ्यक्रम का विचार किया गया। वर्ष 2005-06 में पाठ्यक्रम शुरू करने तथा विद्यार्थियों के चयन हेतु विशिष्ट उपाय सुझाने के लिए वर्ष के दौरान विशेषज्ञ समूह की बैठकें आयोजित की गईं। संस्थान द्वारा विद्यार्थियों के चयन तथा पाठ्यचर्या तैयार करने की प्रक्रिया में विश्वविद्यालयों, शैक्षिक संस्थाओं तथा गैर-सरकारी संगठनों के साथ गहन संपर्क कार्य शुरू किया गया।

संस्थान के लखनऊ और गुवाहाटी स्थित क्षेत्रीय केन्द्रों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चाइल्डलाइन के लिए नोडल संगठनों के रूप में चुना गया है। चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन द्वारा कार्यान्वित की जा रही चाइल्डलाइन परियोजना इस समय 66 शहरों में चल रही है। इसका उद्देश्य 0-18 वर्ष के आयु वर्ग के अधिकांश सीमान्त बच्चों तक पहुंचने का है। यह विशेष रूप से चिकित्सा सहायता, आश्रय, दुर्व्यवहार से सुरक्षा, उद्धार, भावात्मक सहयोग तथा मार्गदर्शन, सूचना एवं निर्देशक सेवाओं की जरूरतों के प्रति प्रतिक्रियाशील है।

वर्ष के दौरान संस्थान ने गैर-सरकारी संगठनों को संचालन के देशव्यापी मानचित्र पर रखने के प्रयास के रूप में एक वेब निर्देशिका प्रकाशित की। यह निर्देशिका देशव्यापी संसाधनों तक गैर-सरकारी संगठनों की पहुंच को आसान बनाएगी तथा उनमें तालमेल और नेटवर्क को धीरे-धीरे आगे बढ़ाएगी।

वर्ष के दौरान संस्थान ने निम्नलिखित अनुसंधान/मूल्यांकन अध्ययन, संकलन तथा अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं पूरी कीं :

1. उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश में खीस (कोलोस्ट्रम) देने की प्रथाएं
2. दिल्ली में महिलाओं के साथ छेड़-छाड़, उत्पीड़न तथा बलात्कार की घटनाओं पर गहन अध्ययन
3. पंजाब तथा हरियाणा राज्यों में महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा एवं अपराध से निपटने के लिए विशेष प्रबंध
4. उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों का मूल्यांकन
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र में बाल विकास के लिए स्वैच्छिक प्रयास
6. असम में क्षेत्र निवेश कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य बल प्रबंधन पर नीति संबंधी पुनरीक्षा
7. मणिपुर तथा मेघालय राज्यों के लिए जेंडर संबंधी बजट बनाना
8. डिजिटल पुस्तकालय चरण-2
9. भारत में कामकाजी महिलाओं के छात्रावास का अध्ययन
10. बंगाली, मणिपुरी, खासी, गारो तथा बोडो में मानसिक मंदता पर विवरणिका

संस्थान ने 10 दिसम्बर 2004 को डा0 जैन एक्सी, निदेशक, साइंटिफिक एजुकेशन एंड डिवेलपमेंट डिपार्टमेंट, नेशनल सेंटर फार युमेन एंड चिल्ड्रेंस हेल्थ, बीजिंग के नेतृत्व में अध्ययन दौरे के लिए आए प्रतिनिधि मण्डल की मेजबानी की जिसमें चीन के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रान्तीय और राष्ट्रीय स्तर के 20 अधिकारी शामिल थे। निपसिड की संकाय ने अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित संस्थान के विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों पर प्रस्तुतीकरण दिए।



संस्थान ने अपनी संकाय को जानी-मानी व्यावसायिक संस्थाओं/संगठनों द्वारा भारत तथा विदेश में आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सेमिनारों/कार्यशालाओं हेतु नामित करके संकाय की क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने के अपने प्रयास जारी रखे। वर्ष 2004-05 के दौरान डा० आदर्श शर्मा निदेशक ने सिंगापुर में "एन्थ्रोग्राफी ऑफ चाइल्डहुड रिवीज़िड" पर आयोजित कार्यशाला में भाग लिया। उन्होंने इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन, लंदन विश्वविद्यालय में अर्ली चाइल्डहुड एन्विरनमेंटल रेटिंग स्केल (ईसीईआरएस) इंटरनेशनल नेटवर्क पर दो दिवसीय बैठक में भी भाग लिया। श्रीमती रीता पुनहानी, संयुक्त निदेशक ने ए मल्टी प्रोफेशनल अप्रोच टू एजुकेशन एंड चाइल्ड केयर क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस पर वारसिक विश्वविद्यालय, युनाइटेड किंगडम द्वारा आयोजित चार दिवसीय सम्मेलन में भाग लिया। सुश्री मनोरमा कौल, सहायक निदेशक को "लड़कियों की शिक्षा पर ऑनलाइन प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम का विकास - एक सशक्तिकरण" विषय पर महिला अध्ययन विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली द्वारा आयोजित कार्यशाला के लिए प्रतिनियुक्त किया गया। श्रीमती सतबीर छाबड़ा, अनुसंधान सहायक ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में विटामिन ए की कमी से होने वाले विकारों के निर्धारण की पद्धतियों पर राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया। डा० शीश राम शर्मा, सहायक निदेशक ने इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरीएट ट्रेनिंग एण्ड मैनेजमेंट, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली में प्रशिक्षण की तकनीकों पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लिया। श्री ए.के. नंदा, परियोजना प्रबंधक (उदिशा) तथा श्री जी.बी. श्रीवास्तव, उप निदेशक (लेखा) ने इंडिया हैबीटेट सेंटर, नई दिल्ली में वर्ल्ड बैंक प्रोक्योरमेंट गाइडलाइन्स फार गुड्स एंड वर्कस - रीसेंट चेंजिस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। सुश्री पूनम शर्मा, अनुसंधान सहायक ने बच्चों की उत्तरजीविता विकास एवं उनके अधिकारों की सुरक्षा : वर्ष 2004 के उभरते विषयों पर भारतीय बाल कल्याण परिषद, नई दिल्ली में आयोजित सेमिनार में भाग लिया। डा० (श्रीमती) संध्या गुप्ता, अनुसंधान सहायक ने इंडियन एसोसिएशन फार वुमेन्स स्टडीज़ रिसर्च सेंटर, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लिया। इन्होंने "भारतीय परिप्रेक्ष्य: नारीवादी सिद्धान्त एवं व्यवहार" पर दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिणी कैंपस में आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में भी हिस्सा लिया। डा० एम. एस. तारा, उप निदेशक ने एग्जीक्यूटिव हेल्थ एण्ड स्ट्रेस मैनेजमेंट पर आईएसएचए द्वारा बेंगलूर में आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। डा० (श्रीमती) निर्मल टिक्कू, सहायक निदेशक ने केयर इंडिया, नई दिल्ली में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य, पोषण तथा एचआईवी/एड्स (आरएसीएचएनए) कार्यक्रम की मध्यावधि पुनरीक्षा के दौरान क्षेत्रीय दौरों में भाग लिया। डा० रविन्द्र सिंह, सहायक निदेशक ने किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों, सहायक जिला न्यायवादियों और पुलिस अधिकारियों हेतु आयोजित प्रशिक्षण में भाग लिया। उन्होंने हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान, गुडगांव द्वारा आयोजित "एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चाइल्ड लेबर: ए सोशियो लीगल अप्रोच" नामक कार्यक्रम में भी भाग लिया। सुश्री पारूल श्रीवास्तव, अनुसंधान सहायक ने ओरकिड्स-द लर्निंग सेंटर, गुडगांव डिसलेक्सिया पर आयोजित द्वितीय अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया और सोनडे सिस्टम लर्निंग टू रीड में सहभागिता की।

वर्ष 2004-05 के दौरान तीन नई नियुक्तियां की गईं। डा० अशोक कुमार, संयुक्त निदेशक के पद पर मुख्यालय में नियुक्त हुए। श्रीमती शान्ता गोपालकृष्णन की सहायक निदेशक के पद पर नियुक्ति की गई। श्रीमती सोनिया माखीजानी की अनुकम्पा के आधार पर मुख्यालय में अवर श्रेणी लिपिक के पद पर नियुक्ति की गई।

वर्ष के दौरान अनेक पदोन्नतियां हुईं। डा० सुलोचना वासुदेवन और डा० एम.एस. तारा को क्षेत्रीय निदेशक के पद पर प्रोन्नत किया गया। श्री बी.आर. सिवाल, श्रीमती निर्मल टिक्कू, श्रीमती मीनाक्षी सूद और डा० बी.एस. अनुराधा उप निदेशक के पद पर प्रोन्नत हुए। श्री बी.के. भट्टाचार्य, श्रीमती विद्यावती और श्री जे एस खुराना आशुलिपिक ग्रेड-1 के पद पर प्रोन्नत किए गए। सुश्री शशिकला बोदरा, श्रीमती प्रेमा पाण्डे, श्री पी.एस. मंजूनाथ, श्री एच.पी. जोशी, श्रीमती सीमा गुप्ता और श्री मुशीर आलम अनुसंधान सहायक के पद पर प्रोन्नत हुए। श्रीमती सुमन वधवा को प्रवर श्रेणी लिपिक के पद पर प्रोन्नत किया गया।

इस वर्ष कई संकाय और स्टाफ सदस्य सेवानिवृत्त हुए। इनमें डा० मंजुला चक्रवर्ती, क्षेत्रीय निदेशक, श्री के. आर. वोहरा, माइक्रो फिल्म आपरेटर एवं फोटोग्राफर, श्री जगदीश प्रसाद, गेस्टेटर ऑपरेटर तथा श्री जय सिंह, स्टाफ कार चालक शामिल थे।

मैं संस्थान की ओर से श्रीमती कान्ति सिंह, अध्यक्ष, रेवा नय्यर, डा० मनोरमा पटवर्धन और भरत सिंह मीणा, उप सभापति तथा श्री के. डी. जोशी, उपाध्यक्ष का उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं साधारण निकाय, कार्यकारी परिषद, क्षेत्रीय समितियों तथा कोर ग्रुप के प्रतिष्ठित सदस्यों का भी आभारी हूं जिन्होंने संस्थान के लिए अपने अमूल्य समय



और सुझावों का योगदान दिया। हम उन व्यावसायिकों, विशेषज्ञों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और तकनीकी संस्थाओं तथा गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के भी आभारी हैं जिन्होंने संस्थान के कार्यक्रमों और गतिविधियों के आयोजन में सहायता और सहयोग दिया। हम प्रभागीय और क्षेत्रीय केन्द्र के स्तरों पर गठित अनुसंधान/परियोजना सलाहकार समितियों के सदस्यों का भी हार्दिक धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अनुसंधान अध्ययनों और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के कार्यान्वयन में संकाय सदस्यों को मार्गदर्शन और सहायता दी। हम महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार, राज्य सरकारों, विश्व बैंक, यूनिसेफ, विश्व खाद्य कार्यक्रम का भी हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने संस्थान को निरन्तर अपना सहयोग दिया है। मैं संस्थान की संकाय और स्टाफ की भी सराहना करना चाहता हूँ जिनके कारण संस्थान ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान सफलतापूर्वक अनेक उपलब्धियाँ अर्जित कीं।

डॉ० गोपाल

(अरुण कुमार गोपाल)
निदेशक

